न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 106/2024 G.C.M.S. No. 2024/474 दर्ज दिनांक : 09.10.2024

अपीलार्थिगण:

1. नारंगीदेवी पत्नि प्रेमसिंह, उम्र 55 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी माण्डल, तहसील रानी, जिला पाली, हाल ठिकाना 57/2, अंजेनेय मंदिर नारायण शेट्टीपेट बैंगलोर नॉर्थ, बैंगलोर सिटी, बैंगलोर, कर्नाटक 560002

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नारायणसिंह पुत्र हीरसिंह, उम्र बालिग, जाति पुरोहित, निवासी माण्डल, तहसील रानी, जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 35/2022 बअनवान नारंगीदेवी बनाम नारायणसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024

उपस्थित–

1. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट्स अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 25.04.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 35/2022 बअनवान नारंगीदेवी बनाम नारायणसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह हैं कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर. टी. एक्ट के तहत योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ग्राम माण्डल, तहसील रानी की सरहद मे खसरा नम्बर 362 रकबा 6.2454 हैक्टेयर, किरम दौरानी अव्वल कृषि भूमि स्थित है, जिसे आगे वादग्रस्त भूमि कहा गया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया नारंगीदेवी एवं अप्रार्थी नारायणसिंह की सह–खातेदारी अविभाजित कृषि भूमि है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया नारंगीदेवी का 1/2 हिस्सा खातेदारी एवं अप्रार्थी नारायणसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी है, जैसाकि जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति से प्रकट है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया नारंगीदेवी एवं अप्रार्थी नारायणसिंह का हिस्सा अनुपात अनुसार शामलाती कब्जा–काश्त कायम था, रहा और आज भी कायम हैं। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया नारंगीदेवी एवं अप्रार्थी नारायणसिंह द्वारा शामलाती में बोई हुई रबी की तारा–मीरा की फसल की कटाई के बाद से पिछले दो

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

माह से प्रार्थीया नारंगीदेवी व उसका पति प्रेमसिंह, अप्रार्थी नारायणसिंह से मौखिक निवेदन करते आ रहे हैं कि इस वर्ष की सावणू फसल की बुआई से पूर्व वादग्रस्त सह–खातेदारी भूमि के सरकारी राजस्व रेकर्ड यानि जमाबन्दी में दर्ज प्रत्येक सह–खातेदार काश्तकार यानि प्रार्थीया नारंगीदेवी एवं अप्रार्थी नारायणसिंह का जो खातेदारी हक हिस्सा दर्ज है, उक्त खातेदारी हक हिस्सा माफिक मौके पर नाप–चौक करवाकर, पत्थर–गढ़डी करवाकर कानून अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के बंटवाडा करवा लिया जावे, संयुक्त खाता अलग–अलग करवा दिया जावें तथा राजस्व नक्शा में अलग–अलग तरमीम करवा दी जावें, परन्तु अप्रार्थी नारायणसिंह इस हेतु सहमत नहीं हुआ। इस वर्ष बरसात होने के पश्चात् जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में प्रार्थीया नारंगीदेवी व उसके पति प्रेमसिंह ने पुनः वादग्रस्त भूमि का हिस्सा अनुपात अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के बंटवाडा करवाने बाबत अप्रार्थी नारायणसिंह से मौखिक निवेदन किया तो उसने बंटवाडा कराने से साफ इंकार कर दिया एवं प्रार्थीया नारंगीदेवी के 1/2 हिस्सा पर उसके काश्तकार हिम्मताराम मारू कुम्हार द्वारा खडाई कर बोई हुई सावणू मूंग की फसल पर अप्रार्थी नारायणसिंह ने पुनः खडाई कर फसल नष्ट कर दी तथा वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीया को बेदखल करने एवं सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा करने की ऐलानिया धमकी दी, जिस कारण तुरन्त बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा करने के सिवाय प्रार्थीया नारंगीदेवी के पास और कोई विकल्प शेष नहीं रहने से उसने बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। चूंकि योग्य अधिन न्यायालय के लिये यह आज्ञापक था कि वह मुकदमें के तथ्यों, जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं सम्बंधित विधि का अनुशीलन एवं विवेचन कर सकारण प्रकरण में आदेश पारित करें, परन्तु अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से प्रकट है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व–मनस्थिति बनाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी कर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया जो प्रथमदृष्टया निरस्त करने योग्य हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया मामला का बिन्दू अपीलार्थी के विरूद्ध एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में तय करने में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्य व संबंधित विधि की अनदेखी की हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया मामला का बिन्दू अपीलार्थी के विरूद्ध इस फाईडिंग के साथ तय किया कि "पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रकट है कि प्रार्थी नारंगीदेवी का पति प्रेमसिंह पूर्व में ही मनरूपसिंह के गोद चला गया था और ग्राम माण्डल में मनरूपसिंह की जो भूमि थीं, उस भूमि का म्यूटेशन संख्या 1028 दिनांक 25.01.1993 मनरूपसिंह के स्थान पर प्रेमसिंह गोदपुत्र मनरूपसिह दर्ज किया गया है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का पति प्रेमसिंह अप्रार्थी के जवाब और काउंटर क्लेम में दर्ज अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मनरूपसिंह के गोद चला गया था। हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 अनुसार दत्तक का परिणाम यह होता है कि दत्तक के पश्चात् उस व्यक्ति का अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त संबंध टूट जाते हैं और उनका स्थान वे संबंध ले लेते हैं जो दत्तक कुटुम्ब में दत्तक के कारण सृजित हुए हों और वह अपने जन्मदात्ता पिता की वंशावली से निकलकर अपने दत्तक पिता की वंशावली में चला जाता है और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी सामग्री से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी नारंगी देवी का पति प्रेमसिंह, मनरूपसिंह के गोद चला गया था, इस कारण प्रेमसिंह का हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम की धारा 12 अनुसार उसके अपने जन्म के कुटुम्ब और जन्मदाता पिता से समस्त संबंध टूट गये थें और वह अपने जन्मदाता की वंशावली से निकलकर अपने दत्तक पिता की वंशावली में चला गया था। जिससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रेमसिंह और प्रतिवादी नारायणसिंह के पिता हीरसिंह की खातेदारी कब्जा काश्तसुदा थीं और प्रेमसिंह के मनरूपसिंह के गोद जाने के पश्चात् प्रेमसिंह का वादग्रस्त भूमि में कोई हक, अधिकार नहीं बचा था और प्रेमसिंह ने अपने मनरूपसिंह के गोद जाने के तथ्य को छुपाकर यदि हीरसिंह जी के स्वर्गवास के बाद फोतेदगी म्यूटेशन अपने नाम पारित करवा भी लिया है तो उससे प्रेमसिंह को वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और उसे वादग्रस्त भूमि अपनी पत्नि प्रार्थी नारंगीदेवी को बक्शीश करने का अधिकार प्राप्त नही होते हैं।" योग्य अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त फाईडिंग के संबंध में निवेदन है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध गोदनामा दिनांक 31.10.1986 मे दर्ज विस्तार कथन एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 772 दिनांक 07.04.1984 की जानबूझकर अनदेखी कर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस के दौराने उठाये गये तर्क, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं संबंधित विधि "धारा 12 (ई) हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956" के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत मनमाना जैर अपील आदेश पारित किया है, जो निरस्त करने योग्य है। क्योंकि अपीलार्थी के पति प्रेमसिंहजी के पिता श्री हीरसिंह जी का वर्ष 1983 को स्वर्गवास हुआ, जिसके प्रमाण में हीरसिंह जी के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त भूमि बाबत् स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 772 दिनांक 07.04.1984 की प्रति संलग्न प्रस्तुत है। इस प्रकार हीरसिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात् उसके पुत्रों प्रेमसिंह व नारायणसिंह को वादग्रस्त भूमि सहित हीरसिंह जी की अन्य चल–अचल सम्पतियों में 1/2 1/2 हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् अपीलार्थी के पति प्रेमसिंह जी को दिनांक 31.10.1986 को श्री मनरूपसिंह जी द्वारा गोद लिया गया, जो तथ्य गोदनामा दिनांक 31.10.1986 में वर्णित विस्तार कथनों से प्रकट है। इस प्रकार हिन्दू एडोप्शन एंड मेंटिनेंस एक्ट की धारा 12(ई) के प्रावधानों अनुसार अपीलार्थी के पति प्रेमसिंह जी के गोद से पहले

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

उनके पिता श्री हीरसिंह जी का स्वर्गवास हो जाने से वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी के पति प्रेमसिंह जी को अपने पिता श्री हीरसिंह जी से उत्तराधिकार में जो 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ, वह 1/2 हिस्सा गोद जाने से समाप्त नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के पति श्री प्रेमसिंह जी को अपने जन्मदाता पिता श्री हीरसिंह जी की सम्पति को अपीलार्थी को बख्शीश करने का पूर्ण विधिक हक अधिकार था। उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्य एवं संबंधित विधि की रोशनी में वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा होना प्रथमदृष्टया विधिसम्मत है, जिसे नहीं मानकर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्य एवं संबंधित विधि की जानबूझकर अनदेखी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश में उपरोक्त गलत एवं विधि विरूद्ध फाईडिंग देकर अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं मानने में तथ्यों एवं विधि की भारी भूल है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत जाकर विधिविरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रतिदावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थिया द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अप्रार्थी रेस्पोंडेंट का प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया को ताफैसला प्रतिदावा वादग्रस्त भूमि में रेस्पोंडेंट के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत व बेचान, हस्तांतरण आदि नहीं करने बाबत पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें। अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य तथ्य व विधि से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नामांतरण संख्या 772 दिनांक 07.04.1984 एवं गोदनामा दिनांक 31.10.1986 की जानबूझकर अनदेखी करते हुए हिंदु दत्तक व भरण–पोषण अधिनियम 1956 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

धारा 12–ई के आज्ञापक प्रावधानों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। क्योंकि अपीलार्थी के पति प्रेमसिंह के पिता श्री हीरसिंह का वर्ष 1983 में स्वर्गवास हुआ, जिसका फौतेदगी नामांतरण 772 दिनांक 07.04.1984 को भरा गया। जिसे हीरसिंह के स्वर्गवास के पश्चात उसके पुत्र प्रेमसिंह व नारायणसिंह वादग्रस्त भूमि सहित हीरसिंह की समस्त संपत्तियों में 1/2–1/2 हिस्से में दर्ज हुए। तत्पश्चात अपीलार्थी के पति प्रेमसिंह को दिनांक 31.10.1986 को मनरूपसिंह द्वारा गोद लिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निर्णयन में मूल वादपत्र में अपेक्षित अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व विवेचन किया जाना अपेक्षित नहीं होता है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में न केवल मूल वादपत्र व प्रति वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर टिप्पणी की गई है, बल्कि बिना किसी आधार के रेस्पोंडेंट का कब्जाकाश्त होने बाबत अभिमत प्रकट किया है। जिसका समर्थन व पुष्टि किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू–अभिलेखीय स्थिति व प्रविष्टियों के आधार पर अपीलांट द्वारा बंटवाड़े के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की हैं। वहीं रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में ही वर्तमान भू–अभिलेखीय प्रविष्टियों को प्रश्नगत करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत अनुतोष के प्रति वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी की वर्तमान भू–अभिलेखीय स्थिति को लेकर विवाद विद्यमान है। अतः हमारे विनम्र मत में प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला बखूबी विद्यमान है। साथ ही चूंकि उभयपक्षकारान द्वारा कब्जाकाश्त की स्थिति के संबंध में किसी प्रकार का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है तथा जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियां जोकि प्रश्नगत है, अतः केवल जमाबंदी की प्रविष्टियों के आधार पर किसी भी एक पक्ष के समर्थन में सुविधा का संतुलन साबित नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार चूंकि भू–अभिलेख की वर्तमान प्रविष्टियां प्रश्नगत है तथा उभयपक्षकारान द्वारा परस्पर विरोधी दावे किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में यदि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू–अभिलेख स्थिति को सुरक्षित नहीं रखा गया तो महज अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर हस्तांतरण या भारित किया जाना संभाव्य है। जिससे निश्चित रूप से दोनों पक्षों को अपूर्णनीय क्षति संभव है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद व प्रतिवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 35/2022 बअनवान नारंगीदेवी बनाम नारायणसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 को अपास्त करते हुए उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम माण्डल, तहसील रानी में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 362 रकबा 6.2454 की वर्तमान भू-अभिलेखीय स्थिति में ताफैसला वाद व प्रतिवाद कोई परिवर्तन नहीं करें एवं न ही रहन, बेचान, हस्तांतरण या अन्य किसी विधि से भारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय व संबंधित तहसीलदार को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner